पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ **1327** /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनॉक // **30/01/ 2019**

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

शासन के पत्र संख्या-**क0नि0-4-1312/11-2017/ 400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28-12-18** द्वारा वाणिज्यकर विभाग उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को बीमा कम्पनी के अनुबन्ध होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक विभाग द्वारा चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि इंगित अवधि (दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक) से सम्बन्धित समस्त बीमा दावा प्रकरण, जो आपके अधीनस्थ ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/ खण्डाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुए है अथवा प्राप्त होते है, तो ऐसे समस्त बीमा दावा प्रकरण के निस्तारण की संस्तुति जोन स्तर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जानी होगी :-

1- सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर। (अध्यक्ष)।

2- सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0), वाणिज्य कर। (सदस्य सचिव)

3- सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर/खण्डाधिकारी, वाणिज्य कर। (सदस्य)

4- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर। (सदस्य)

5- सम्बन्धित जोन के वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक। (सदस्य)

यदि आपके जोन में कोई लेखापरीक्षक तैनात न हो तो अपने निकट के जोन के वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षक को नामित कराया जाए।

उक्त समिति द्वारा प्राप्त बीमा दावा प्रकरणों का परीक्षण शासन के पत्रांक संख्या-क0नि0-4-312/11-2018-400(1)/2018 दिनांक 17-05-2018 (उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है) में निर्धारित शर्तो के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर भी विस्तृत विचार करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा :-

1- निर्धारित क्लेम फार्म पूर्ण रुप से भरा है अथवा नही।

2- बीमा शर्तो के अनुसार क्लेम मृतक की पति/पत्नी द्वारा किया गया है, यदि मृतक अविवाहित है तो क्लेम पिता द्वारा किया गया है, यदि पिता नही है तो माता द्वारा किया गया है। यदि किसी अन्य द्वारा क्लेम किया गया है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नही।

3- एफ0आई0आर0, मृत्यु प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रथम गवाह की रिपोर्ट तथा पंचनामा रिपोर्ट संलग्न है अथवा नही।

4- फार्म-11 पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नही।

5- दावेदार का पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रति तथा दावेदार का बैक विवरण या कैसिंल चेक की प्रति संलग्न है अथवा नही।

6- मृत्यु का कारण :- हत्या/ दुर्घटना (आत्महत्या/ स्वाभाविक कारण हुई मृत्यु आच्छादित नही है।)

7- यदि मृत्यु हत्या के कारण हुई है तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट अथवा चार्जशीट संलग्न है अथवा नही।

यहॉ यह भी निर्देश दिये जाते है कि इस माह तक प्राप्त बीमा दावों को उपरोक्तानुसार परीक्षण कर दिनांक 18-02-2019 तक मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बजट आवंटन किया जा सके। इसी प्रकार अग्रिम माह फरवरी व माह मार्च में भी प्राप्त होने वाले आवेदनों पर उपरोक्तानुसार परीक्षण करते हुए प्रस्ताव ससमय मुख्यालय को उपलब्ध कराये, ताकि बजट लैप्स होने की स्थिति न उत्पन्न हो। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए समिति का उत्तरदायित्व होगा ।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ खण्डाधिकारियों एवं लेखापरीक्षकों को भी उक्त से सूचित करने का कष्ट करें।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।

4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।